

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, -492002

क्रमांक 260/84/सा./2020/

नवा रायपुर, दिनांक

01/04/2020

प्रति

- 1) समस्त कलेक्टर
- 2) समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

छत्तीसगढ़ ।

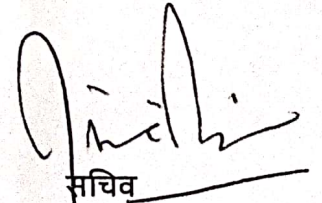
विषय: मरीजों को शासकीय अस्पतालों में आने के लिए स्थानीय परिवहन व्यवस्था बाबत ।

संदर्भ: दिनांक 24 मार्च 2020 को जिला कलेक्टरों के साथ VC में दिए गए निर्देश ।

प्रदेश में कोविड संक्रमण के खतरे को कम करने की दृष्टि से परिवहन विभाग द्वारा सभी बस सेवाओं, टैक्सी व ऑटो-रिक्शा को वर्तमान में बंद रखा गया है । चूंकि स्वास्थ्य विभाग के पास एम्बुलेंस की उपलब्धता सीमित है, ग्रामीण क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के इलाज के लिए शासकीय अस्पतालों में आना चाहने वाले गंभीर मरीजों के अस्पतालों तक परिवहन के लिए विशेष व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है । इस प्रकार की सहायता Injuries, Dog bite, snake bite and other animal bites cases, poisoning, severe dehydration, malaria, TB, stroke, complicated cases of hypertension/diabetes, complicated deliveries आदि के प्रकरणों के लिए अधिक ज़रूरी है ।

अतः 102 व 108 के अतिरिक्त प्रत्येक जिला अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर मरीजों के परिवहन हेतु पांच-पांच वाहनों की तत्काल व्यवस्था करें, जिनके माध्यम से मरीजों को निःशुल्क अस्पताल लाने और घर छोड़ने का कार्य कराया जाए । प्रत्येक जिला अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपरोक्त व्यवस्था के लिए प्रभारी कर्मचारी तय करें, जिनके फ़ोन नंबर पर मरीज वाहन के लिए सम्पर्क कर सकेंगे । समुदाय में उपरोक्त वाहनों की उपलब्धता की जानकारी का प्रसार करने के लिए फ़ोन नंबर की जानकारी सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं मितामिनो तक पहुँचाना सुनिश्चित करें ।

अतः उपरोक्तानुसार वाहनों की व्यवस्था कर निर्धारित फ़ोन नंबर की सूचना आज ही संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएँ में प्रेषित करें ।

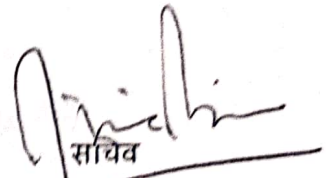

सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

11/4/2020

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ छ.ग. को सूचनार्थ,
2. संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ छ.ग. को सूचनार्थ,
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छ.ग. को सूचनार्थ,
4. समस्त सिविल सर्जन, छ.ग. को सूचनार्थ,



सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण